संख्या-42/2021/491/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2021

विषयः-प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेन्स सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत ही हैं कि प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदाओं में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों व स्टार्टअप्स को छूट एवं परफारमेन्स सिक्युरिटी में कमी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल0उ0)/2016टी0सी0, दिनांक 31-5-2021 निर्गत किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि संदर्भगत शासनादेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल0उ0)/2020, दिनांक 19-3-2020 द्वारा निर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रय नीति-2020 व भारत सरकार के जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के चैप्टर-6 के नियम-170 व भारत सरकार के परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA दिनांक 10-3-2016 तथा संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-20/2/2014-PPD(Pt), दिनांक 25-7-2017 में दिये गये प्राविधानों के क्रम में जेम पोर्टल पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को ई0एम0डी0, कार्यानुभव व टर्न ओवर आदि से छूट प्रदान की गयी है।

3- इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-F.9/4/2020-PPD, दिनांक 12-11-2020 द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अर्थव्यवस्था में मंदी के दृष्टिगत जेम पोर्टल् पर प्रचलित समस्त अनुबन्धों में सफल निविदादाताओं से ली जाने वाली परफारमेन्स सिक्युरिटी 5-10 प्रतिशत से घटाकर 03 प्रतिशत कर दिया गया है। यह व्यवस्था समस्त निविदाओं के लिये अनुमन्य है। ऐसे अनुबन्ध जो पहले से आर्बीट्रेशन/मा0 न्यायालय में विचाराधीन है, उनको इसका लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि परिस्थितिवश कुछ मामलों में परफारमेन्स सिक्युरिटी 3 प्रतिशत से अधिक लेना आवश्यक है, तो सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ही अनुबन्ध को अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अपवाद के औचित्यपूर्ण कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- संदर्भगत शासनादेश के संबंध में स्पष्ट करना है कि भारत सरकार के जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के चैप्टर-6 के नियम-170 (1), भारत सरकार के परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA दिनांक 10-3-2016 तथा परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-20/2/2014-PPD(Pt), दिनांक 25-7-2017 एवं परिपत्र संख्या-1(2)2016-MA संख्या-F-9/4/2020-PPD, दिनांक 12-11-2020 के अनुसार सूक्ष्म व लघु इकाईयां, जो एम0एस0ई0 प्रोकयोरमेन्ट पालिसी के तहत नियमानुसार पंजीकृत हैं तथा वह स्टार्टअप्स इकाईयां जो औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वे ही ई0एम0डी0 से छूट प्राप्त करने की पात्र हैं। उक्त इकाईयों से केवल निविदा घोषणा पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था है जिसमें यह उल्लेख होगा कि यदि बिड वैधता की अवधि में उक्त फर्म विदड्राल अथवा बिड की किसी शर्त का उल्लंघन करती है तो क्रेता द्वारा बिडर/विक्रेता को बिड की शर्तों के अनुसार निर्धारित समय के लिये निलम्बित किया जा सकेगा, जिसका उल्लेख बिड बनाते सयम क्रेता विभाग द्वारा किया जायेगा।

5- स्टार्टअप्स इकाईयां सामान्यत: सूक्ष्म व लघु इकाईयां होती हैं जिनके पास पूर्व ट्रैक रिकार्ड नहीं होता है। अत: समस्त विभाग एवं उनके अधीनस्थ संस्थायें/निगम आदि द्वारा स्टार्टअप्स तथा सूक्ष्म व लघु इकाइयों को शासकीय सामग्री एवं सेवा की गुणवत्ता एवं तकनीकी विशिष्टिताओं को प्रभावित किये बिना पूर्व टर्न ओवर एवं पूर्व कार्यानुभव से छूट प्रदान की जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि परफारमेन्स सिक्युरिटी के संबंध में संदर्भगत शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था जेम पोर्टल व समस्त प्रकार के प्रचलित अनुबन्धों एवं दिनांक 31-12-2021 तक निष्पादित अनुबन्धों पर लागू होगी तथा नियमानुसार पंजीकृत सभी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयों पर भी लागू होगी।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अवगत होते हुये आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(4) सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
(5) सचिव, लोक सेवा आयोग उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
(7) निदेशक, सेवायोजन विभाग, लखनऊ।
(8)निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
(9)वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।